सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आषाढ़ 26, शुक्रवार, शाके 1942–जुलाई 17, 2020
Asadha 26, Friday, Saka 1942–July 17, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्‌वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 16,2020

जी.एस.आर.184 :–यतः मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 65 की उप–धारा (2) और धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को संशोधित करने के लिए राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2020 का प्रारूप उससे संभाव्यतः प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजस्थान राजपत्र में यथा–प्रकाशित प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जायें, पन्द्रह दिन के अवसान के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) की अपेक्षानुसार राजस्थान राजपत्र विशेषांक, भाग 3 (ख) में दिनांक 11.06.2020 को प्रकाशित किया गया था।

और यतः, उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को 11.06.2020 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और यतः, उक्त प्रारूप–नियमों पर कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः अब, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 59) की धारा 65 की उप–धारा (2) और धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मोटर यान(संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नये नियम 7.14ख का अन्तःस्थापन .– राजस्थान मोटर यान नियम,1990 के विद्यमान नियम 7.14क के पश्चात् और विधमान नियम 7.15 के पूर्व, निम्नलिखित नया नियम 7.14ख अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:–

7.14ख मंजिली गाड़ी यानों की बैठक क्षमता की सीमा .– (1) किसी मोटर कैब, ऑटोरिक्शा, एक्सप्रेस मंजिली गाड़ी या नगरपालिक / नगर सुधार न्यास की सीमाओं के भीतर चलने वाली किसी मंजिली गाडी से भिन्न किसी मंजिली गाडी यान की न्यूनतम बैठक क्षमता यान के व्हील बेस के प्रत्यक्षतः आनुपातिक होगी, और उपलब्ध करवायी जाने वाली सीटों की न्यूनतम संख्या, निम्नलिखित सारणी के

स्तंभ (3) में विनिर्दिष्टानुसार होगी। तथापि संचालक, चैसिस जिस पर बॉडी बनायी गयी है, के प्रकार को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, बैठक क्षमता से संबंधित अन्य नियम से सुसंगत, बैठक क्षमता में वृद्धि कर सकेगा।

सारणी

क्र.सं.	व्हील बेस	ड्राईवर और /या कण्डक्टर को सम्मिलित करते हुए न्युनतम बैठक क्षमता
1	2	3
1	254 से.मी.से 293 से.मी.	16
2	294 से.मी.से 305 से.मी.	20
3	306 से.मी.से 343 से.मी.	25
4	344 से.मी.से 407 से.मी.	30
5	408 से.मी.से 432 से.मी.	35
6	433 से.मी.से 496 से.मी.	45
7	497 से.मी.से 534 से.मी.	50
8	535 से.मी.से 541 से.मी.	55
9	542 से.मी.से 561 से.मी.	60
10	562 से.मी.और उससे अधिक	65

परन्तु पृथक्,–पृथक् प्रवेश और निकास द्वार वाले यान की दशा में ऊपर विनिर्दिष्ट न्यूनतम बैठक क्षमता में से दो सीट कम की जा सकेंगी;

परन्तु यह और कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में यथा– वर्णित बैठक क्षमता में यान के मूल रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् कोई कमी अनुज्ञात नहीं की जायेगी, जब तक कि ऐसी कमी माप की गलत संगणना के कारण आवश्यक नहीं हो जाती है या जब तक बॉडी का पुनर्निर्माण नहीं किया जाता है।

(2) उप– नियम (1) के उपबंध, राजस्थान मोटर यान (संशोधन) नियम, 2020 के प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी यान पर लागू नहीं होंगे, किन्तु जब यान की बॉडी किसी समय पुनर्निर्मित की जाती है तो उप नियम (1) के उपबंध लागू होंगे।

[संख्या प. 7(03) परि/नियम/मु./2005/IV/13033]

राज्यपाल के आदेश से,

महेन्द्र कुमार खींची,

संयुक्त शासन सचिव ।

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, July 16, 2020

G.S.R. 184.-Whereas the draft of the Rajasthan Motor Vehicles (Draft Amendment) Rules, 2020 amending the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 65 and section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), was published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, in the Rajasthan Gazette Extra-ordinary part 3(Kha) dated 11.06.2020 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of fifteen days from the date on which the copies of the said notification as published in Rajasthan Gazette were made available to the public.

And whereas, copies of the said notification were made available to the public on 11-06-2020.

And whereas, no objection and suggestion received on the said Draft Rules.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 65 and section 111 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act No. 59 of 1988), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Insertion of new rule 7.14B.-After the existing rule 7.14A and before the existing rule 7.15 of the Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990, the following new rule 7.14B shall be inserted, namely:-

"7.14B Limit of Seating Capacity of Stage Carriage Vehicles.-(1) The minimum seating capacity of a stage carriage vehicle other than a motor cab, an auto rickshaw, an express stage carriage or the stage carriage vehicle plying within Municipal/U.I.T. limits shall be directly proportionate to the wheel base of the vehicle and the minimum number of seats to be provided shall be as specified in column (3) of the following Table. However the operator may increase the seating capacity consistent with other rule relating to the seating capacity having due regard to the type of chassis on which the body is built:

Table

S.No.	Wheel base	Minimum seating capacity including driver and/or conductor
1	2	3
1	254 Cms to 293 Cms	16
2	294 Cms to 305 Cms	20
3	306 Cms to 343 Cms	25
4	344 Cms to 407 Cms	30
5	408 Cms to 432 Cms	35
6	433 Cms to 496 Cms	45
7	497 Cms to 534 Cms	50
8	535 Cms to 541 Cms	55
9	542 Cms to 561 Cms	60
10	562 Cms and above	65

Provided that the minimum seating capacity specified above may be reduced by two seats in case of vehicle having separate entrance and exit.

Provided further that no reduction of seating capacity as mentioned in the certificate of registration shall be allowed after original registration of the vehicle unless such reduction is necessitated on account of wrong calculation of the measurements or when the body is reconstructed.

(2) The Provisions of sub- rule(1) shall not apply to a vehicle already registered on the date of coming into force of the Rajasthan Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2020, but when the body of vehicle is reconstructed at any time the provisions of sub-rule(1) shall be applicable."

[No. F 7(03)/Pari/Rules/H.Q./2005/ 13033]
By Order of the Governor,
Mahendra Kumar Khinchi ,
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.